रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 1999/माघ 22, 1920
No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1999/MAGHA 22, 1920

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1999

सं. 28/1/99-सी.टी.आई.

पृष्ठभूमि :

भारत सरकार ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) नामक एक योजना का अनुमोदन किया है । योजना वित्तीय संस्थानों (नोडिए अभिकरणों) से प्राप्त होने वाले ऋणों पर 5% का ब्याज प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी । वस्त्र मंत्रालय द्वारा अभिकरणों को ऐसे प्रोत्साहन की राशि की प्रतिपूर्ति अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाएगी । उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में बुनाई, निटिंग, प्रसंस्करण और परिष्करण, मिश्रित बुनाई, प्रसंस्करण और कताई एककों (एकमात्र कताई एककों को छोड़कर), परिधान विनिर्माण, कपास जिनिंग और प्रैसिंग के साथ-साथ पटसन उद्योग को शामिल किया जाएगा । यदि कोई जिनिंग और प्रैसिंग एकक प्रस्तावित प्रौद्योगिकीय मिशन (सी.टी.एम.) के अंतर्गत रियायती वित्तपोषण का पात्र हो जाता है तो ऐसा एकक टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत पात्र नहीं होगा ।

नोडिए अभिकरण :

2. बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), विद्युतकरण, हौजरी, परिधान, कपास जिनिंग और प्रैसिंग क्षेत्रों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा पटसन क्षेत्र के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) नोडिए अभिकरण हैं । पात्र एककों को योजना के शुरू होने से 5 वर्षों की अवधि के दौरान टी.यू.एफ.

योजना के अंतर्गत ऋणों के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा । इस योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण के आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा एक विशिष्ट प्रकोष्ठ बनाया जा सकता है ।

संचालन समिति :

3. वस्त्र मंत्रालय ने टी.यू.एफ. योजना को चलाने के लिए विस्तृत आधार पर नीतियों, मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति गठित की है । इस समिति का गठन निम्नानुसार है :

(क)	सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ख)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	उपाध्यक्ष
(ग)	सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(घ)	सचिव, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(ङ)	वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(च)	पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(छ)	सलाहकार, योजना आयोग (वस्त्र उद्योग के प्रभारी)	सदस्य
(ज)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आई.डी.बी.आई.	सदस्य
(झ)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सिडबी	सदस्य
(ञ)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आई.एफ.सी.आई.	सदस्य
(ट)	डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
(ठ)	अध्यक्ष, एक्जिम बैंक	सदस्य
(ड)	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ	सदस्य
(ढ)	अध्यक्ष, भारतीय सूती मिल परिसंघ (आईसीएमएफ)	सदस्य
(ण)	अध्यक्ष, भारतीय कला रेशम बुनाई उद्योग परिसंघ (एफआईएसडब्ल्यूआई)	सदस्य
(त)	अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ (आईडब्ल्यूएमएफ)	सदस्य
(थ)	अध्यक्ष, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद् (पीडीईएक्ससीआईएल)	सदस्य
(द)	अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल परिसंघ (आईजेएमए)	सदस्य
(ध)	अध्यक्ष, भारतीय कपड़ा विनिर्माण संघ (सीएमएआई)	सदस्य
(न)	संयुक्त सचिव (टी.यू.एफ.एस. के प्रभारी)	सदस्य सचिव

कार्य :

4. संचालन समिति के कार्य निम्नानुसार हैं :-

(1) समिति टी.यू.एफ. योजना का प्रचालन करने के लिए मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करेगी जिनमें पुनर्भुगतान करने की अवधि, मार्जिन धनराशि की आवश्यकताओं आदि जैसे ब्यौरे शामिल होंगे । तथापि, ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त, टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत संभावित एककों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और बैंक-ग्राह्यता का मूल्यांकन करने के लिए नोडिए अभिकरणों द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं होंगे ।

समिति "प्रौद्योगिकीय उन्नयन" को परिभाषित करते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फैक्ट्रियों के प्रसंस्करण की गुणवत्ता में सुधार लाना, ब्राण्ड इक्विटी की स्थापना करना तथा संक्षेप में उच्चतर इकाई मूल्य वसूल करना और उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है । मौजूदा विनिर्माण सुविधाओं के उन्नयन पर बल दिया जाएगा तथा न कि पुरानी मशीनों के बदले उसी प्रौद्योगिकी के स्तर की नई मशीनें लगाकर उन्नयन किया जाएगा ।

(2) मिश्रित एकक्रों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में केवल तभी कताई सुविधा के प्रौद्योगिकी उन्नयन की व्यवस्था होगी यदि इसके साथ बुनाई और/अथवा प्रसंस्करण सुविधाएँ भी सम्मिलित हों ।

(3) समिति समय-समय पर योजना के कार्यचालन की समीक्षा करेगी ।

(4) समिति अपनी बैठकों में प्रत्येक दो वर्ष में योजना के कार्यचालन का मूल्यांकन करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि योजना किस दिशा में उन्मुख है तथा उसके कितने लक्ष्यों की पूर्ति हो गई है तथा उसके कारगर क्रियान्वयन के लिए दिशा प्रदान करेगी ।

(5) समिति आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी करेगी/सुझाएगी ।

(6) समिति टी.यू.एफ.एस. के कारगर क्रियान्वयन में परामर्श देने के लिए तदर्थ समितियाँ भी नियुक्त कर सकती है ।

(7) समिति योजना के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगी और उसके बाद छः महीने में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार प्रायः मिलेगी ।

(8) समिति योजना की दिशा तथा उसके क्रियान्वयन की सीमा से सरकार को अवगत कराएगी ।

विविध :

5. सरकारी अधिकारियों के संबंध में यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते पर यदि कुछ खर्च होता है तो उसका वहन संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा जबकि गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के का.ज्ञा. सं. एफ.6(26)-आर-II/59 के अनुसार यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के दावे के हकदार होंगे ।

6. वस्त्र आयुक्त द्वारा सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी ।

एन. रामाकृष्णन, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि जनता की व्यापक जानकारी के लिए इसकी एक प्रति भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की जाए । साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा उनसे संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन को भी भेजी जाए ।

एन. रामाकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

RESOLUTION

New Delhi, the 10th February, 1999

No. 28/1/99-CTI

Introduction:

The Government of India have approved a scheme called Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) for the modernisation and technological upgradation of the textile and jute industries. The scheme will be operated by the Ministry of Textiles for providing an interest incentive of 5% points on loans availed of from financial institutions (the Nodal Agencies). Such incentive will be reimbursed to the agencies by the Ministry of textiles on a half yearly basis. Identified sectors to be covered under the above scheme are weaving, knitting processing and finishing, composite weaving, processing and spinning units(excluding stand-alone spinning units) garment manufacturing, cotton ginning and pressing, as well as the jute industry. When any ginning and pressing unit becomes eligible for concessional finance under the proposed Cotton Technology Mission(CTM), such an unit will no longer be eligible under the TUFS.

Nodal Agencies:

2. The Nodal Agencies envisaged are the Industrial Development Bank of India(IDBI) for the weaving and processing sectors, the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) for the powerloom, hosiery, garment cotton ginning and pressing sectors and the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) for the jute sector. Eligible units are required to apply for loans under the TUF Scheme during a period of five years from the launch of the Scheme. A special cell may be set up by the financing institutions for expeditiously processing loan applications received under this scheme.

Steering Committee:

3. The Ministry of Textiles have constituted an Inter-Ministerial Committee for laying down policies, norms and guidelines on a macro-basis for operationalising the TUF Scheme. The composition of the Committee is as follows:

a)	Secretary, Ministry of Textiles, Govt. of India	Chairman
b)	AS&FA	Vice Chairman
c)	Secretary, Ministry of Commerce, GOI	Member
d)	Secretary, Ministry of Industry, GOI	Member
e)	Textile Commissioner, MOT, GOI	Member
f)	Jute Commissioner, MOT, GOI	Member
g)	Adviser, Planning Commission (in charge of the textile industry)	Member
h)	Chairman & Managing Director of the IDBI	Member
i)	Chairman & Managing Director of the SIDBI,	Members
j)	Chairman & Managing Director of the IFCI	Members
k)	Dy. Governor of Reserve Bank of India	Member
l)	Chairman of EXIM Bank	Member
m)	President of Federation of Indian Textile Engineering Industry	Member
n)	Chairman of the Indian Cotton Mills Federation(ICMF)	Member
o)	Chairman of Federation of Indian Art Silk Weaving Industry(FIASWI)	Member
p)	Chairman of Indian Woollen Mills Federation(IWMF)	Member
q)	Chairman of Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL)	Member

r)	Chairman of Indian Jute Mills Association(IJMA)	Member
s)	Chairman of Clothing Manufacturers Association of India(CMAI)	Member
t)	Joint Secretary (in charge of the TUFS)	Member Secy.

Functions:

4. The functions of the Steering Committee are as follows:

(i) The Committee will lay down norms and guidelines for operationalising the TUF scheme, including details such as period of repayment, margin money requirements etc. Such guidelines, however, will not be repugnant to those laid down by the nodal agencies for assessing the techno-economic feasibility, commercial viability and bankability of the proposals submitted by prospective units under the TUFS.

The committee would lay down guidelines defining the term "technology upgradation" ensuring, inter-alia, improvement in the processing quality of fabrics, establishment of brand equity and, in short, higher unit value realisation and better quality for the products. Stress will be given on upgradation of existing manufacturing facilities and not through replacement of old machines with new ones of the same technology levels.

(ii) The guidelines in respect of composite units would envisage technology upgradation of the spinning facility only if combined with weaving and/or processing facilities.

(iii) The committee would periodically review the functioning of the scheme.

(iv) The Committee would appraise the functioning of the scheme every two years to assess the direction and extent to which the objectives of the scheme have been fulfilled at its meetings and provide directions for an effective implementation of the same.

(v) The Committee would also take/suggest necessary corrective measures.

(vi) The Committee may appoint adhoc committees to advise in the effective implementation of the TUFS.

(vii) The Committee will meet at least once in a quarter during the first year of the implementation of the scheme and at least once in six months thereafter, or as often as necessary.

(viii) The Committee, would keep the Government apprised of the direction and extent of the implementation of the scheme.

Miscellaneous

5. The expenses on TA & DA, if any, will be borne by the respective departments in respect of Government officials, whereas non-officials will be entitled to claim TA & DA as per OM No. F. 6(26)-R-IV/59, dated September 5, 1960 of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), as amended from time to time.

6. Secretariat assistance will be provided by the Textile Commissioner.

N. RAMAKRISHNAN, Jt. Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this be published in the Gazette of India extraordinary for wide public information. Ordered also that a copy be sent to each of the members and their respective Ministries/Departments/Organizations.

N. RAMAKRISHNAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054